नगर पालिक निगम भिलाई

मासिक पत्रिका
मई 2024

नगर पालिक निगम भिलाई

सड़क पर डम्प किये मलवे को निगम कर रहा है जप्त

भिलाईनगर। निगम क्षेत्र में सड़क किनारे बेतरतीब रखे भवन से निकले निर्माण मलवा को निगम द्वारा जप्ती की कार्यवाही की जा रही है। ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हो और शहर की गंदगी साफ हो। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर निगम क्षेत्र में जगह-जगह सड़क किनारे, गली मोहल्ले में डम्प किये गये मलवा को निगम द्वारा हटाने का कार्य किया जा रहा है। भवन मालिको द्वारा अपने निर्माणधीन भवन अथवा पुराने भवन को तोड़कर उससे निकलने वाले मलवा को सड़क किनारे अथवा गली मोहल्ले में ढेर लगाकर छोड़ देते है जिससे रात में वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते है। उक्त ढेर शहर की साफ-सफाई में भी बड़ा बाधक रहेता है। जिसकी शिकायत के आधार पर तथा निगम अधिकारियो के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने पर उक्त मलवे के ढेर को निगम द्वारा जे.सी.बी. एवं हाईवा लगाकर जप्ती की कार्यवाही की जा रही है। निगम प्रशासन ने शहर के नागरिको से अपील करते हुए कहा है की अपने धर से निकलने वाले मलवे को सड़क किनारे एवं गली मोहल्ले में डम्प न करे, ताकि लोग सुरक्षित आवागमन कर सके।

नगर पालिक निगम भिलाई

विज्ञापन होर्डिंग बोर्ड का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की होगी जाँच

भिलाईनगर। जल जनित बिमारियों के बचाव एवं वर्षाऋत में वर्षा जल के जमाव को रोकने सहित बरसात में होने वाले परेशानियो से बचने के लिए आवश्यक तैयारियो के साथ ही आयक्त ने विभिन्न कार्यो का किया समीक्षा। जोन आयक्त निगम क्षेत्र के भमि एवं भवनो के छत पर लगाए गये होर्डिंग का स्टक्चर स्टेबिलिटी जांच कर प्रमाण पत्र प्रस्तत करेगे। आयक्त देवेश कमार ध्रव ने निगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को वर्षा ऋत के पर्व निगम क्षेत्र में सभी आवश्यक तैयारियां करने को कहा। उन्होने क्षेत्र में चल रहे बडे छोटे नालियो की सफाई कार्य की वार्डवार समीक्षा किए और कहा कि स्वास्थ्य विभाग यह सनिश्चित कर लेवे कि कोई भी नाली चोंक न हो ताकि बरसाती पानी आसानी से गंतव्य की ओर आगे बह जाए और कही पर भी पानी का जमाव न हो। जलजनित डायरिया. पिलीया जैस- बिमारियों से बचने के लिए आपर्ति की जा रही पेयजल की जांच कर दषित जल पाये जाने वाले क्षेत्र के आस-पास सफाई तथा घर-घर क्लोरिन टेबलेट का वितरण आवश्यक रूप से करें। आयक्त ने जोन के इंजिनियर से लिकेज पेयजल पाईप लाईन की जांच कर उसे संधारित करवा कर रिपोर्ट गगलशीट पे अपडेट करने के दिये गये अपने निर्देश के संदर्भ में जानना चाहा किन्त गगलशीट पर जानकारी अपडेट नहीं होने पर निगम के 12 सब इंजिनियरो को कारण बताओ सचना पत्र जारी किया गया है। शहर में लगाये गये विज्ञापन होर्डिंग की क्षमता मौसम की मार हवा तफान को बर्दास्त कर सकेगा कि नहीं इसकी जांच के लिए आयक्त ने सभी जोन आयक्तो को निर्देश दिए है कि भमि पर अथवा भवन के छत पर लगाये गये होर्डिंग का इंजिनियरो या आर्किटेक्ट से स्टक्चर स्टेबिलिटी की जांच कर प्रमाण पत्र प्रस्तत करने को कहा है। ताकि बरसात के मौसम में चलने वाले तेज हवा. तफान से संभावित दर्घटना की आशंका से बचा जा सके। आयक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना. राष्टीय शहरी अजीविका मिशन. पेंशन योजना सहित जन शिकायत तथा कलेक्टर टी.एल. के प्रकरणो का समीक्षा किये। बैठक में अपर आयक्त. अधीक्षण अभियंता. जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता एवं विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

नगर पालिक निगम भिलाई

अवैध प्लाटिंग करने वालो पर नगर निगम भिलाई द्वारा की गई कार्यवाही

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोहका में खसरा क्रमांक 716 के 3 एकड़ भूमि पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम प्रशासन एवं पुलिस बल की टीम ने कार्यवाही कर निर्माण किये गये अवैध बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरूप प्रदान किया। भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर तहसीलदार गुरूदत्त पंच भाई, राजस्व अमला एवं पुलिस बल की संयुक्त टी ने कार्यवाही करते हुए ग्राम कोहका के खसरा नं. 716 के 3 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बनाये गये बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी के से गिराया गया। निगम को शिकायत प्राप्त हुआ था कि ग्राम कोहका के खसरा नं. 716/1 के तीन एकड़ भूमि पर बिना अनुमति के शिव बिहार कालोनी के नाम पर नई कालोनी बनायी जा रही है, जहाॅ स्थित प्लाट पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर आयुक्त ने भवन शाखा तथा जोन-1 के राजस्व विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिये थे। संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वहां मुरूम डालकर बनाये गये बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी. से ध्वस्त किया गया। कार्यवाही में भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, उपअभियंता सिद्वार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, निगम का तोड़फोड़ दस्ता सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर निगम भिलाई प्लाट खरीदने वाले हितग्राहियो से यह अपील करती है कि निगम क्षेत्र में भूमि क्रय करने के पूर्व अवैध प्लाटिंग के संबंध में दस्तावेज दिखाकर के. आर. कृष्ण वर्मा मोबाईल नम्बर 91-8770060356 से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

नगर पालिक निगम भिलाई

भीषण गर्मी को देखते हुए पानी सप्लाई में निरंतरता बनी रहे-आयुक्त

भिलाईनगर। भिलाई नगर निगम के सभागार में आज समीक्षा बैठक के दौरान सभी जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता की उपस्थिति में आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निर्देश दिये कि निगम भिलाई क्षेत्र में कही भी पानी की सप्लाई बाधित न हो। हर नागरिक को पीने का पानी मिले यह सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में नियमित पेयजल सप्लाई के साथ-साथ निगम क्षेत्र के सभी पावर पम्प, हैण्ड पम्प का संधारण गुणवत्तापूर्वक किया जाये, निगम के संधारण करने वाले दस्ता से यह सुनिश्चित किया जाये की उनके द्वारा पम्पो का संधारण किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्वक हो उसी पावर पम्प में दुबारा शिकायत न मिले उसका समय सीमा निर्धारित किया जावे। निगम के द्वारा सप्लाई पाईप लाईन में कहीं भी लिकेज होने की स्थिति में उसका तत्काल संधारण किया जावे। हैण्ड पम्प में कही भी जलभराव न हो यह भी ध्यान रखा जाये। आवश्यकता हो तो टेंकर से भी सप्लाई नियमित रूप से किया जाये। निगम के इंजिनियर एवं सुपरवाईजर इस बात का ध्यान रखे की जिन बस्तीयो में टेंकर से पानी सप्लाई हो रहा है वहां निर्धारित स्थल एवं समय पर पानी सप्लाई हो। उसको तुरन्त रोका जाये और ऐसे डायवरो पर कार्यवाही हो, इसके लिए स्थानीय नागरिको से जानकारी प्राप्त किया जाये की पानी समय पर मिल रहा है की नहीं। सभी इंजिनियर एवं सुपरवाईजर इसका निरीक्षण करते रहे। किसी भी नागरिक को पानी की समस्या होने पर निगम के जोन कार्यालय को सूचित करें ।

नालियों पर किए गए अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई शुरू

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के निचली बस्तियों में बरसात के समय पानी ना भरे इस हेतु नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश ध्रुव द्वारा मीटिंग के दौरान सभी को निर्देश दिए थे बारिश के समय किसी भी तरह से कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल जमाव न हो. मानसून की आने की संभावना समय पर होने के कारण युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू हो गया है इसी के तारतम्य में zon 2 कमिश्नर ईशा लहरे अपने दल के साथ वार्ड क्रमांक 23 एवं 25 में हुए नाली के ऊपर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंच गई नालियों के ऊपर स्लैब बनाकर लोग पार्किंग का उपयोग कर रहे थे पहले भी इन्हें हटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन लोग नहीं माने यह बात अच्छी रही की स्थानी निवासी भी नालियों पर हुए अवैध निर्माण को तुड़वाने में सहयोग करने लगे जिनके घरों में अवैध निर्माण किया गया था उनको समझाइए दे रहे थे जो नहीं हटाए उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया ईशा लहरे ने बताया कि बरसात के समय बुद्ध विहार के पास लगभग 50 घरों में पानी भर जाता था अभी सूर्यकुंड के पास 10 लोग ऐसे मिले जो अपने सामने सरकारी पक्के नाली पर स्लैब बना लिए थे जिससे सफाई नहीं हो पा रही थी कचरा वहां जाम हो जा रहा था आज पक्का निर्माण को तोड़ा गया जिससे समुचित सफाई हो पाए बुद्ध विहार एवं सूर्य कुंड का तालाब के आसपास रहने वाले लगभग 100 परिवार को आने वाली बारिश के दिनों में जल भराव से निजात मिल सके. निगम भिलाई के सभी जोन में नालियों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है आयुक्त देवेश ध्रुव ने लोगों से अपील की सब लोग सहयोग करें स्वयं हटा लेंगे तो ठीक है नहीं तो चालानी कार्रवाई होगी . निगम द्वारा हटाने पर जो खर्च आएगा अवैध कब्जा कब्जाधारी से लिया जाएगा . इस कार्रवाई दौरान zon के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा अपने दल के साथ उपस्थित थे

कुर्की वारंट तामील कराकर संपत्ति कर 148000 की वसूली की आयुक्त के निर्देश पर है

भिलाई नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे संपत्ति करदाता जो मार्च अप्रैल में संपत्ति कर जमा नहीं किए थे उन्हें नगर निगम अधिनियम 1956 के धारा 174 के तहत नोटिस तामील कराई गई गई थी इसमें से कुछ व्यापारियों द्वारा संपत्ति कर की राशि जमा कर दी गई थी परंतु कुछ ऐसे व्यापारी भी है जो संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे थे उन व्यापारियों के विरुद्ध आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव द्वारा धारा 175 के तहत वारंट शक्ति पत्र जारी किया गया इसके लिए सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को कुर्की दल का अधिकारी नियुक्त किया गया था उनके द्वारा आज मदर टैरेसा नगर zon क्रमांक 3 के राजस्व के आमला को लेकर के हैं पावर हाउस सर्कुलर मार्केट जाकर बकाया दारो से संपर्क किया गया नोटिस तामील की सूची दिखाई गई इसके बाद आज कुर्की दल द्वारा संपत्तिकर की वसूली की गई कुल चार व्यवसाईयों से संपत्ति कर की राशि 148000वसूली किया गया . यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी इसमें व्यापारी संघ भी सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है नगर निगम भिलाई सभी संपत्तिकर बकाया दारो से अपील करती है कि अपने दायित्वों का संपत्ति कर जमा कर देवे अन्यथा वसूली की कार्रवाई की जाएगी

नगर पालिक निगम भिलाई

27 भवन स्वामी के विरूद्व कुर्की वारंट जारी-नगर निगम भिलाई की कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 27 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी की नियुक्ति करते हुए 31 मई तक राशि की वसूली करने के निर्देश दिये है सूची के आधार पर जोन-03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें राज कुमार चैधरी/दुधनाथ चैधरी खुर्सीपार भिलाई, भगवान वर्मा/भिलाई निर्माण शिक्षा समिति, कृष्ण कुमार गुप्ता/श्यामनाथ गुप्ता केम्प 2 भिलाई, रामप्रवेश चैहान/हीरालाल चैहान भिलाई, बंशी अग्रवाल/लाजपत राय अग्रवाल भिलाई, बालवीर सिंह/लाल सिंह भिलाई, राम नागीन/स्व. राम देव चैहान संतोषी पारा भिलाई, रधवीर महाजन/स्व. मुन्न महाजन केम्प 2 भिलाई, राजाराम/स्व. चंदलाल साहू केम्प 2 भिलाई, राजेन्द्र प्रसाद/राजेश मिश्रा भिलाई, राजेश कुमार/स्व. रमेश चंद भिलाई, रामदरस यादव/रधनाथ यादव भिलाई, अरूणाप्रभा शुक्ला/आर.एन.शुक्ला भिलाई, राजपति शर्मा/स्व. हरिद्वारा शर्मा केम्प 1 भिलाई, प्रशांत जायसवाल/माता गरीब जायसवाल भिलाई, मलंग/चंद साहू बाबा केम्प 1 भिलाई, शेख अब्बास/स्व. शेख मोहम्मद स्टील नगर भिलाई, चेतनदास चैधरी/स्व. धनका चैधरी केम्प 1 भिलाई, माता गरीब जायसवाल/स्व. महावीर जायसवाल अम्बेडकर नगर भिलाई, सलमुद्दीन/अलीम केम्प 2 भिलाई, रंजीत सिंह/जगदीश सिंह भिलाई, चन्द्रकांत/मरोती राव केम्प 1 भिलाई, जितेन्द्र कुमार राय/जगदीश राय मदर टेरेसा नगर भिलाई, उर्मिला मिश्रा/अमरनाथ मिश्रा केम्प 1 भिलाई, रवि कुमार कोडा/स्व. रमेश कुमार कोडा शांति पारा केम्प 1 भिलाई, फुलचंद/ईशना हुकरे पुरानी मछली मार्केट भिलाई, सुषमा देवी टहलयानी/स्व. भगवान दास टहलयानी चटाई क्वाटर केम्प 2 भिलाई शामिल है। इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर 31 मई के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 27 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, बी.के. नायडू को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 31 मई तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये।

नगर पालिक निगम भिलाई

कैच द रेन एवं फाईट द बाइट पर सेमिनार आयोजित

भिलाईनगर। आज नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में कैच द रेन एवं फाईट द बाइट पर सेमिनार आयोजित किया गया। जिसका प्रमख उद्देश्य था बरसात के पानी को संरक्षित करना एवं मच्छर के लार्वा पनपने से पहले उसका उन्मलन कर देना।

भिलाई क्षेत्र के सभी रेसिडेंस एसोसिएसन के पदाधिकारियो को बलाया गया था उन्हे नगर निगम के भवन अधिकारी हिमांश देशमख द्वारा शासन की योजना कैच द रेन के बारे में बताया गया कि किसी प्रकार से हम अपने कालोनी में सोक पिट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर रिचार्ज बना करके. वर्षा के जल को सरंक्षित कर सकते है साथ ही बोरिंग को रिर्चाज करके जमीन के भ स्तर को बढाया जा सकता है। फाइट द बाइट के अंतर्गत जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. चंदभान सिंह बंजारे द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हम अपने हाउसिंग सोसायटी को मच्छर से मक्त कर सकते है हमे ध्यान देना होगा कि हमारे सोसायटी के कलर. गमला. पानी टंकी. स्वीमिंग पल. फलावर पॉट. फ्रीज के नीचे एवं अन्य स्थान पर जहा पर पानी भरने की संभावना है वहॉ पर मच्छर के लार्वा पनप सकते है। ऐसे जगहो पर थोडी सी सावधानी करके वहां जला आईल. मलेरिया आईल. टेमिफास डाल करके मच्छर के अण्डो को मार सकते है। एक मच्छर 150 से अधिक अण्डे देता है. अगर हम उसे नहीं मारेगे तो बढते क्रम में बढते ही जायेगा। सोसायटी के पदाधिकारियो ने अपना पक्ष रखा उसमे से यह निर्धारित हआ की नगर निगम भिलाई एवं मलेरिया उन्मलन स्वास्थ्य विभाग की टीम संयकत रूप से एक तिथि निर्धारित करके हाउसिंग सोसयटी के लोगो के बीच जायेगी. निवासरत नागरिको को समझायेगी. इसमे सोसायटी के लोग भी सहयोग करेगें। यह सब कार्य 15 जन बरसात आने से पहले करने का सब लोगो ने निश्चय किया है। सेमिनार के दौरान अपर आयक्त अशोक द्विवेदी. डॉ. तसार वर्मा. स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द मिश्रा. भवन अनज्ञा के इंजिनियर सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी. शहरी अजीविका मिशन के स्टाफ के साथ हाउसिंग सोसायटी के वंदे मातरम सोसायटी. श्रीराम हाईटस. शिखर अपाटमेंट. कष्णा गौरण्ड सिटी. आकति हाईटस. अविनाश डेवलप्र्स आदि के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी लोगो ने जागरूकता लाने का शपथ लिया।

नगर पालिक निगम भिलाई

बारिश से पूर्व सभी खुले चेम्बरो को आयुक्त ने दिया ढकने का निर्देश

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वृहद पेयजल योजना के अंतर्गत सभी जोन क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाई गई है। जहां पर ज्वाइंट वा ॅल्ब लगाये जाते है वहां पर चेम्बर बनाया जाता है। इसी प्रकार से जोन में जहा ॅ पर अंडर ग्राउण्ड सिवरेज लाईन है, जहां घरो पर ज्वांइट लगता है जहां पर भी खुले चेम्बर पाये जाये उसे स्लेब ढक्कन से ढक दिया जाये। जिससे बारिश के समय में पानी भरने पर किसी भी जानवर, राहगीर आदि का दुर्घटना न हो।

सनद रहे की बारिश में यदि खुला चेम्बर छुट जाता है तो पानी भर जाने के बाद जानवर, राहगिरो के गिरने की दुर्घटना बनी रहती है उसको रोकने के लिए आयुक्त देवेश ध्रुव ने सभी जोन आयुक्त एवं इंजिनियरो को निर्देश दिये है 10 जून तक सभी खुले चेम्बरो पर ढक्कन लग जाना चाहिए। ढक्कन लगाने की कार्यवाही निगम के सभी क्षेत्रो में चल रही है। अगर कही पर खुला चेम्बर दिखता है, तो आम नागरिक अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय को सूचित कर देगें तो वहा ॅ भी खुले चेम्बर पर ढक्कन लगा दिया जायेगा।

आयुक्त श्री ध्रुव ने सभी जोन आयुक्त एवं इंजिनियर, सुपरवाईजर, जेड.एच.ओ. को निर्देशित किये है की सभी चेम्बरो पे ढक्कन लगा दिया जाये, कुछ चेम्बर ऐसे भी हैं जिनका ढक्कन खसक गया है या नीचे गिर गया है उसे भी चिन्हांकित करके लगा दिया जाये जिससे बरसात में पानी भरने की स्थिति में दुर्घटना

निगम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हो गुणवत्तापूर्ण-आयुक्त

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र मे हो रहे नवीन आंगनबाडी केन्द्रो के निर्माण को देखने पहुंचे निगम आयुक्त। जिससे आंगनबाडी के निर्माण की गुणवत्ता एवं आवश्यक सुविधा में किसी प्रकार की बाधा न हो। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव प्रातः भ्रमण के दौरान भिलाई निगम क्षेत्र के वार्ड 29 वृन्दा नगर में बन रहे नवीन निर्माणाधीन आंगनबाडी केन्द्रो का निरीक्षण किये तथा निगम के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिये की निर्धारित समय अवधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण सभी आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण हो जाना चाहिए। आंगनबाडी का निर्माण इस प्रकार से किया जाये की बच्चो को बैठने खेलने में में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय आंगनबाडी केंद्र का स्वयं का भवन नहीं होने के कारण किराए के भवनों में आंगनबाडी चलना पडता है इसलिए शासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम क्षेत्र में शासन के आदेश अनुसार नवीन आंगनबाडी का निर्माण किया जा रहा है जो निर्धारित समय में पूर्ण हो जाएगा जिससे आस-पास के बच्चो को आंगनबाड़ी आने जाने में सुविधा हो बच्चो के खेलने के लिए भी उपयुक्त स्थल मिल सके।

Editorial Board

श्री देवेश कुमार ध्रुव
भा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री अजय कुमार शुक्ला
प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई